दिनांक 09 मार्च 2013 को आयोजित ए सी बैठक के कार्यवृत्त

एसी 12 :01	**19 मई 2012 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई थी।

एसी :12: 02	**19 मई 2012 को आयोजित 15वीं एसी बैठक के कार्यवृत्त पर एटीआर**

एटीआर को नोट किया गया था। .

एसी 12 :03	**रिपोर्टिंग मदें**

i. कैंपस भूमि

मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार ने दिनांक 25 फरवरी 2013 को यांगांग के पीडबल्यूडी अतिथि गृह में आयोजित एक औपचारिक समारोह में यांगांग स्थित 265.94 एकड़ भूमिखंड सौंपा। इस समारोह में सचिव, एचआरडी, सिक्किम सरकार, उच्चतर शिक्षा के निदेशक, एचआरडी, रावंगला के अनुमंडलाधिकारी (जिस अनुमंडल के अधीन यांगांग स्थित है), दक्षिण जिला के उपायुक्त, दक्षिण जिला के जिला अध्यक्ष, एचआरडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, भूमिखंडों के प्रदाता एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कुलपति, रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत सलाहकार (वित्त), एवं महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक ने किया।

वर्तमान में विश्वविद्यालय को हस्तांतरित भूमि का नाम-परिवर्तन कार्य ग्रामीणों के पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ-साथ चल रहा है।

परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति की मांग करते हुए विज्ञापन पूर्व में ही प्रकाशित किए गए हैं तथा xi वीं योजना हेतु यूजीसी मार्गदर्शनों के अनुसार भवन निर्माण समिति गठित की गई है।

ii. विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति

कुलपति ने विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों एवं अधिकांश समाज से दो महीने से अधिक तक अंतर्क्रिया करने के बाद, विश्वविद्यालय के अंदर एवं बाहर से कुछ वरिष्ठ शिक्षाशास्त्रियों, महाविद्यालय प्राचार्यों, एचआरडी कार्मिकों, एवं सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर एक विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति गठित करना उचित समझा। समिति गठित किए जाने का उद्देश्य विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, परीक्षा, एवं अन्य कार्यक्रमों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करना था। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर संपर्क के लिए मार्ग खोजना भी था। समिति की बैठक 07 से 09 फरवरी 2013 के दौरान हुई तथा अंतिम तारीख को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट पर आज बाद में विचार-विमर्श किया जाना अनुसूचित है।

iii. रजिस्ट्रार की नियुक्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति विजिटर द्वारा 3 वर्ष की अवधि हेतु किया जाता है जिसमें से करीब दो वर्ष अभी पूर्ण होने में शेष है, क्योकि अब तक विश्वविद्यालय में कार्यभारग्रहण करने वाले दो रजिस्ट्रार ने एक वर्ष से कम की सेवा दी है। जब वर्तमान कुलपति ने विश्वविद्यालय में कार्यभारग्रहण किया तब एक कार्यकारी रजिस्ट्रार था जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि “अवशिष्ट खंड” का मुद्दा

एमएचआरडी के समक्ष लंबित था। वीसी ने नवंबर 2012 में एमएचआरडी कार्मिकों के साथ अपनी मुलाक़ात के दौरान इसके बारे में पूछा परन्तु इस संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। वीसी ने इस मुद्दे को कुलाधिपति के साथ भी उठाया जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश हैं। एमएचआरडी कार्मिकों के परामर्श से वीसी ने, अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर, सांविधि 6(4) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए एक योग्य एवं दक्ष अधिकारी की खोज की। उन्होंने वर्तमान पदधारी को इस पद हेतु चिन्हित किया तथा उन्हें पद का प्रस्ताव दिया जिसके लिए वे सर्वप्रथम झिझके परन्तु अंततः सहमत हुए। इसी बीच एमएचआरडी से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रो. ए एन राई, नेहु के वीसी एवं प्रो. पी टंडन, नेहु के पूर्व वीसी, के साथ विजिटर के नॉमिनी के रूप में सम्मिलित करते हुए एक नई चयन समिति का गठन करे।

विश्वविद्यालय का अभिप्राय एमएचआरडी के पत्र के अनुसार यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाने तथा इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में परिषद को अवगत करवाना है।

रिपोर्ट किए गए मद को नोट किया गया।

एसी 12:04	**संपुष्टि हेतु मदें**

i. प्रमुखों प्रभारियों एवं डीन की नियुक्ति

विश्वविद्यालय के सभी 21 विभागों एवं 1 स्कूल का संचालन समन्वयकर्ताओं की सहायता से उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों पर बिना किसी स्पष्ट मार्गदर्शन के किया गया। इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा सभी विभागों के लिए विभागप्रमुख/प्रभारियों की नियुक्ति की गई। उन्हें नियुक्ति पश्चात उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया था।

विश्वविद्यालय ने दो डीन की नियुक्ति भी इस दृष्टि से किया कि इस विश्वविद्यालय में दो प्रोफेसर ही विद्यमान हैं, जिनमें से एक विज्ञान एवं नीति आयोजना अध्ययन के स्कूल का प्रभारी है जबकि दूसरा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान का प्रभारी है। दोनों डीन को उनकी नियुक्ति के पश्चात शक्तियों एवं कर्तव्यों पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया गया है।

इस विषय की परिषद द्वारा संपुष्टि की गई थी।

ii. हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार

विश्वविद्यालय द्वारा हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार के प्राचार्य को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें वर्ष 2013 से बी फार्म प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु 45% न्यूनतम अर्हता अंक के रूप में तथा पार्श्विक प्रविष्टि हेतु सीटों की प्रतिशतता में वर्तमान 10% से 20% की वृद्धि का अनुमोदन किया गया था। यह अनुमोदन निर्णय की तात्कालिकता की दृष्टि से प्रदान किया गया था तथा यह संशोधित एआईसीटीई मानदंडों के अंतर्गत था।

विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान के प्रति वर्ष 2012-13 हेतु संबद्धता आदेश भी जारी किया गया था, क्योंकि संस्थान ने संबद्धता शुल्क का भुगतान पूर्व में कर दिया था तथा विश्वविद्यालय उचित समय पर निरीक्षण दल भेज पाने में असफल रहा था। तथापि, संबद्धता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि संस्थान बी फार्म हेतु संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय के मानदंडों का अवश्य अनुपालन करेगा।

इस विषय की परिषद द्वारा संपुष्टि की गई थी।

एसी:12:05	**अनुमोदन के विचारार्थ मदें**

i. **इतिहास, राजनीतिशास्त्र, गणित, अंग्रेजी, एवं वाणिज्य में पीजी पाठ्यक्रम I एवं II सेमेस्टर हेतु सिलेबसों का कार्योत्तर अनुमोदन**

छात्रों के एक आंदोलन जिसमें मई 2012 के दौरान एनएच31ए को 8 घंटों से अधिक तक के लिए अवरुद्ध किया गया था एवं तत्पश्चात विश्वविद्यालय एवं सिक्किम सरकार के बीच एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था, के अनुवर्तन में इतिहास, राजनीतिशास्त्र, गणित, अँग्रेजी, एवं वाणिज्य हेतु मास्टर की कक्षाएँ तादोंग सरकारी महाविद्यालय में आरंभ की गई थी। विश्वविद्यालय ने यूजीसी मॉडल सिलेबस के आधार पर इन पाँच विषयों के लिए सिलेबस उपलब्ध करवाया, परंतु अभी तक इसे शैक्षणिक परिषद के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय इन पाँच विषयों को जुलाई 2013 से विश्वविद्यालय में ही संचालित करने पर सहमत हुआ।

उपरोक्त की दृष्टि से, विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित विषयों पर परिषद के अनुग्रह की मांग की:

a. विश्वविद्यालय में जुलाई 2013 से उपरोक्त पाँच विषयों को आरंभ करने का कार्योत्तर अनुमोदन
b. ऊपर उल्लेखित पाँच विषयों में I एवं II सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के लिए प्रयुक्त सिलेबसों के प्रति कार्योत्तर अनुमोदन

इस मामले का इस शर्त पर अनुमोदन किया गया कि उन पाँच विषयों के सिलेबस को अगले शैक्षणिक सत्र के पूर्व संशोधित किया जाएगा।

ii. (1) **तादोंग सरकारी महाविद्यालय**, (2) **सिक्किम विधि महाविद्यालय**, **एवं** (3) **हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय के प्रति स्थायी संबद्धता**

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सिक्किम में उपरोक्त महाविद्यालय इस सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के पारित होने के बाद सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने के पूर्व उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के साथ स्थायी रूप से सम्बद्ध थे, जिसके द्वारा सिक्किम के सभी महाविद्यालयों को सिक्किम विश्वविद्यालय के अधीन लाया गया। परंतु जब सिक्किम विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया उनकी स्थिति अस्थाई रूप से सम्बद्ध महाविद्यालयों की तरह था, जिसके कारण यूजीसी से यूजीसी अधिनियम की धारा 2एफ एवं 12(बी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग करने में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

अप्रेल 2012 में संबद्धता मुद्दे पर यूजीसी विनियमावली के प्रति नवीनतम संशोधनों के अनुसार, एनएएसी द्वारा अथवा किसी अन्य केंद्रीय/राज्य प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रत्यायन प्रमाण-पत्र स्थायी संबद्धता हेतु अनिवार्य है।

पुनरीक्षण समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया तथा अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय उपरोक्त तीन महाविद्यालय को विशेष मामले के रूप में स्थायी संबद्धता प्रदान करने पर विचार करे। तथापि, अब से आगे स्थायी संबद्धता हेतु आवेदनों को अप्रेल 2012 को जारी किए गए संबद्धता पर यूजीसी विनियमावली के अनुसार कड़ाई से व्यवहार किया जाए।

परिषद ने पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं पर विचार एवं अनुमोदन किया।

iii. **एक वर्षीय एलएलएम कार्यक्रम**

यूजीसी ने अपने दिनांक 21 जनवरी 2013 के पत्र में एमएचआरडी द्वारा एक वर्षीय एलएलएम कार्यक्रम हेतु स्थापित विधिक शिक्षा पर राउंड टेबल के सुझाव का अनुमोदन किया है।

यह कार्यक्रम सिर्फ ऐसे विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में वैध है जहां पोस्टग्रेजुएट विधिक अध्ययनों के लिए प्रावधान नहीं है। आगे यह स्पष्ट किया गया कि एक वर्ष साथ ही दो वर्षों के लिए एलएलएम कार्यक्रम वैध रहेंगे।

परिषद ने इस विषय को विलंबित करने का निर्णय लिया।

iv. **संकाय सदस्यों की सेवा शर्तें (परिवीक्षा अवधि, लिएन तथा संवीदा अवधि के दौरान सभी उद्देश्यों के लिए सेवा की गणना)**

इस विश्वविद्यालय में 21 शर्तों की एक सूची उपलब्ध है, जिसमें विश्वविद्यालय में कार्यभारग्रहण करने के लिए दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि सम्मिलित है, यद्यपि यूजीसी विनियमावली स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि परिवीक्षा अवधि मात्र एक वर्ष के लिए होगी। विश्वविद्यालय ने अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि इस विश्वविद्यालय में कार्यभारग्रहण करने के पूर्व वे अपने लिएन से सेवानिवृत होकर आएं। वे राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं, कहीं अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं आदि।

आगे यह अभिलेखित किया जा सकता है कि उनमें से कइयों ने विश्वविद्यालय में इसके निर्माण अवस्था में अल्प अथवा सुविधाविहीन काल में सेवा प्रदान किया है। उनमें से कई विगत दो वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय की सेवा शर्तों के कारण विश्वविद्यालय छोड़ चुके हैं।

अतः परिषद चयनित शिक्षकों को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने में प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पर विचार करे:

a. परिवीक्षा अवधि में एक वर्ष का ह्रास तथा एक वर्ष की शेष अवधि हेतु उनलोगों के लिए माफी जिन्होंने एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्व में ही पूरा कर लिया है।
b. विश्वविद्यालय को लिएन से सेवानिवृति हेतु आग्रह नहीं करना चाहिए, जो कि एक अधिकार है उनलोगों ने उन संस्थानों में सेवा के एवज में अर्जित किया है जहां से वे आए हैं।
c. विश्वविद्यालय को अपने “नियुक्ति के प्रस्ताव” में अर्थपूर्ण ढंग से संशोधन करना चाहिए ताकि चयनित शिक्षकगण आने में स्वागत का अनुभव करें।
d. सिक्किम विश्वविद्यालय में संविदा की अवधि की गणना सभी सेवा उद्देश्यों से की जाए।
e. उच्च योग्यता वाले शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए परिषद वेतन संरक्षण की अनुमति विशेषकर जीओआई नियमानुसार प्रदान करे।

परिषद ने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया।

v. **पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु सेवा शर्त:**

विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरियन पद का विज्ञापन कार्यकालिक पद के रूप मे किया है तथा विज्ञापन के अनुसार पदधारी को सुसज्जित आवास एवं एक छोटा वाहन मिलना था। ऐसा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की असावधानी के कारण हुआ क्योंकि लाइब्रेरियन का पद एक स्थायी पद है परंतु यूजीसी नियमावली के अंतर्गत वे सुसज्जित आवास एवं छोटे वाहन के हकदार नहीं हैं।

उपरोक्त की दृष्टि से, परिषद लाइब्रेरियन के पद को कार्यकालिक से स्थायी पद में परिणत किए जाने पर विचार करे।

इस विषय का परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

vi. **चयन समितियों एवं परीक्षा के लिए विशेषज्ञों का पैनल**

विश्वविद्यालय को परिषद द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के एक पैनल की आवश्यकता (1) विभिन्न विभागों में प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन, (2) विभिन्न विभागों में एम फिल एवं पी एच डी अभ्यर्थियों के शोधप्रबंधों का मूल्यांकन तथा मौखिक जांच का संचालन, एवं (3) प्रत्येक विभाग में वर्तमान में xiवीं योजना के अंतर्गत विद्यमान रिक्तियों की वृहत संख्या (201कुल पदों में से 129) हेतु चयन समितियों के गठन के लिए है।

परिषद ने अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया।

vii. **संबद्धता समिति का गठन**

इस विश्वविद्यालय द्वारा सिक्किम में विभिन्न महाविद्यालयों के प्रति विभिन्न निरीक्षण समितियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर अस्थाई संबद्धता प्रदान की जा रही है। अतः यह प्रस्तावित है कि एक संबद्धता समिति का गठन संबद्धता हेतु आवेदनों एवं निरीक्षण रिपोर्टों की शैक्षणिक परिषद के समक्ष अपनी टिप्पणियों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व संवीक्षा करने के लिए की जाये। इससे संबद्धता मामलों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा। अतः विश्वविद्यालय इसके लिए निम्नलिखित संघटन प्रस्तावित करता है:

कुलपति अथवा प्रो-वाइस-चांसलर	अध्यक्ष
लोक शिक्षण/उच्चतर शिक्षा के निदेशक अथवा उसका नॉमिनी	सदस्य
शैक्षणिक परिषद के तीन नॉमिनी, निजी/मिशनरी महाविद्यालय के प्रतिनिधि सहित	सदस्यगण
परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद	सदस्य-सचिव

परिषद ने संबद्धता समिति के संघटन का अनुमोदन किया तथा संबद्धता समिति के प्रति निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया:

डा. एन के पासवान
डा. एन सत्यनारायण
फा. डेनियल, लोयला महाविद्यालय

viii. **सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्रति संशोधन**

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) कहती है: "विश्वविद्यालय का मुख्यालय गंगटोक में स्थित होगा"।

इस तथ्य की दृष्टि से कि विश्वविद्यालय को अपने स्थायी कैंपस हेतु यांगांग में भूमि प्रदान की गई है परिषद उपरोक्त प्रावधान को निम्न रूप से परिवर्तित किए जाने पर विचार करे:

धारा 3(2) "विश्वविद्यालय का मुख्यालय यांगांग, दक्षिण सिक्किम में स्थित होगा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

परिषद ने इस विषय का अनुमोदन किया।

ix. **सिक्किम विश्वविद्यालय सांविधि 15 के प्रति संशोधन**

विश्वविद्यालय ने सांविधि 15 में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किया, जो कि निम्नलिखित की दृष्टि से अध्ययनों के स्कूल एवं विभागों से संबन्धित है (1) स्कूलों की स्थापना लागत में वर्तमान 17 से प्रस्तावित 6 में कमी लाना, (2) स्कूलों को शैक्षणिक रूप से अंदर से और अधिक एकीकृत करना, (3) (क) किसी विभाग के बिना स्कूलों, (ख) एकल विभाग के साथ स्कूलों, एवं (ग) दो विभागों के साथ स्कूलों को बंद करना। विश्वविद्यालय का यह मत है कि किसी स्कूल में विचारों के अर्थपूर्ण आदान-प्रदान के लिए कम से कम तीन विभाग अवश्य होने चाहिए।

परिषद ने इस विषय का अनुमोदन किया।

x. **पुस्तकों एवं शोध-प्रबंधों का प्रो. ए सी सिन्हा संग्रहण**

प्रोफेसर ए सी सिन्हा गुजरात विद्यापीठ एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय, शिलांग में आने के पूर्व पढ़ाते थे जहां उन्होंने तीन दशकों तक पाठन किया। एनईएचयू में इस लंबे कालखंड के दौरान उन्होंने वृहत संख्या में मूल्यवान एवं दुर्लभ पुस्तकों तथा पूर्वोत्तर भारत पर शोध ग्रन्थों का संग्रहण किया। उनके संग्रह में करीब 800-1000 पुस्तकें एवं शोधग्रंथ होंगे, जिनमे से कई सिक्किम से संबन्धित हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं दो पुस्तकों एवं बहुत से आलेखों की रचना इसी हिमालयन राज्य पर पिछले लगभग चार दशकों के दौरान की है।

विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय में अपने हाल के भ्रमण के दौरान उन्होंने अपने संग्रह को विश्वविद्यालय के प्रति दान करने की इच्छा व्यक्त की, जिसका कि कुलपति ने कृतज्ञता के साथ स्वागत किया। उनके संग्रह का कुल मूल्य, यहाँ तक कि जिन मूल्यों पर उनकी खरीद हुई थी, सात लाख से अधिक होगा और उन्होंने इनकी खरीद अपने पसीने की कमाई से की थी।

उपरोक्त की दृष्टि से परिषद विश्वविद्यालय द्वारा एक लाख रुपये का सांकेतिक भुगतान करके उनके प्रतिदान को स्वीकार करने की अनुमति दिए जाने पर विचार करे।

परिषद ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। परिषद ने आगे निर्णय किया कि विश्वविद्यालय इन पुस्तकों के यातायात के प्रति व्यय का वहन करेगा तथा प्रदाता को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।

xi. **सिक्किम विश्वविद्यालय विशेष व्याख्यानों का संस्थापन**

विश्वविद्यालय अप्रेल 2013 से विभिन्न शास्त्रों एवं जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों से राज्य एवं इसके बाहर से विद्वानों को आमंत्रित करके सिक्किम विश्वविद्यालय विशेष व्याख्यानमाला आरंभ करना चाहता है। ऐसे विद्वानों को रियायती श्रेणी में हवाई यात्रा के वास्तविक व्यय का भुगतान, रु.3000/- प्रति व्याख्यान का एक सांकेतिक मानदेय तथा विनीत आतिथेय प्रदान किया जा सकता है। इन व्याख्यानों की अंतर्वस्तु को हिन्दी एवं अँग्रेजी दोनों भाषाओं में हमारे विश्वविद्यालय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

आशा की जाती है कि इन व्याख्यानों से विश्वविद्यालय एवं इसके प्रभाव क्षेत्र साथ ही सम्पूर्ण देश के बीच एक बौद्धिक संबंध स्थापित एवं दृढ़ता प्रदान की जाएगी। यदा कदा भारत के बाहर से भी विद्वानों को इस देश में उनके भ्रमण के दौरान व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

परिषद ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

xii. **विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट**

विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट यहाँ परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

परिषद ने विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर गहन विचार किया तथा अलग से उपलब्ध करवाए गए विवरणानुसार इसका अनुमोदन किया।

xiii. **वर्तमान अध्यादेशों का प्रथम अध्यादेशों द्वारा प्रतिस्थापन**

विश्वविद्यालय द्वारा विगत पाँच वर्षों के दौरान कई सांविधियों एवं अध्यादेशों का मसौदा तैयार किया गया है। वर्तमान सांविधियों एवं अध्यादेशों के सामान्य लक्षण-वर्णन निम्नानुसार हैं:

1. यह दिखलाए जाने के लिए कोई अभिलेख नहीं है कि इनमें से सभी विश्वविद्यालय के संगत प्राधिकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. यह दिखलाए जाने के लिए कोई अभिलेख नहीं है कि कोई भी अध्यादेश संबन्धित मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा विजिटर द्वारा स्वीकृत किया गया है।
3. यह दिखलाए जाने के लिए कोई अभिलेख नहीं है कि प्रथम अध्यादेशों को संबन्धित मंत्रालय की पूर्वानुमति से ड्राफ्ट किया गया था, जैसा कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के अंतर्गत वांछित है।
4. ये अध्यादेश प्रायः भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों एवं परिपत्रों के समरूप नहीं होते है।
5. शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती पर दो अध्यादेशों को छोड़कर, जो कि क्रमशः 47 एवं 43 पृष्ठों से अधिक बड़े हैं, अध्यादेशों के श्रोत का उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि इन्हें विधिक रूप से निष्फल बनाता है।
6. अध्यादेशों का मसौदा इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें विनियमावली की प्रकृति एवं बल अंतर्निहित हैं, जिससे कि अध्यादेशों की शक्ति एवं उनकी नमनीयता में ह्रास हुआ है।

उपरोक्त की दृष्टि से परिषद अब तक विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के अनुमोदन सहित अथवा रहित लागू किए गए सभी वर्तमान अध्यादेशों को, परिषद के अनुमोदन हेतु यहाँ विचारार्थ प्रस्तुत ''प्रथम अध्यादेशों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर विचार करे। परिषद विश्वविद्यालय को उन विषयों के लिए अधिनियमों सांविधियों एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का आश्रय लेने के लिए भी प्राधिकृत करे जो कि यहाँ प्रस्तुत अध्यादेशों के समुच्चय में व्याप्त नहीं हैं।

परिषद ने इस विषय का अनुमोदन किया।

एसी:12:06	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मदें**

i. यूजीसी से दिनांक 27 नवंबर 2012 का पत्र जिसका प्रचालन अंश नीचे उद्धृत है। "आयोग ने विशेषज्ञ समिति की आपदा प्रबंधन पर रिपोर्ट पर विचार किया तथा सभी विश्वविद्यालयों/

महाविद्यालयों में यूजी स्तरपर आपदा प्रबंधन पर एक वैकल्पिक पेपर की प्रस्तावना का अनुमोदन किया। आयोग ने आगे निर्णय लिया कि आपदा प्रबंधन को शैक्षणिक कार्मिक महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अभिमुखीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में एक पाठ के रूप में लागू की जाये"।

इस विषय को नोट किया गया।

ii. यूजीसी से दिनांक 16 जनवरी 2013 का पत्र जिसमें निम्नलिखित अनुशंसा की गई है: "यूजीसी एवं एआईसीटीई यह सुनिश्चित करेंगे कि साइबर सुरक्षा/ सूचना सुरक्षा विश्वविद्यालयों / तकनीकी संस्थानों में अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट स्तर पर एक विषय के रूप में लागू किया जाता है"।

इस विषय को नोट किया गया।

श्री के एम देव
सदस्य-सचिव

प्रो. टी बी सुब्बा
अध्यक्ष